Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1409/2004/उदयपुर

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

....अपीलार्थी

बनाम

राजकामेश्वर महादेव स्थागन देह जरिये पुजारीः–

1. महादेव पुत्र मगनलाल पानेरी निवासी पानेरिया की भादड़ी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. गणेष पुत्र मगनलाल ब्राहम्ण निवासी पानेरिया की भादड़ी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री वी0श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री श्याम लाल गूर्जर, सदस्य

उपस्थितः–
श्री हगामीलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री एस0एल0बोहरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांकः13–03–18

ये द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील सं0 17/2003 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 25–02–2004 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी मूर्ति राजकामेश्वर महादेव जी की ओर से प्रत्यर्थी पुजारियों ने एक वाद अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के

न्यायालय में पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार मूर्ति राजकामेश्वर महादेव है एवं प्रत्यर्थी पुजारी इस भूमि का उपयोग करते है। अपीलार्थी उक्त भूमि का बिना अवाप्त किएही जमीन में जबरन प्रवेश कर कब्जा करना चाहते है। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद को दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी ने जवाब पेश किया। विचारण ने दावे जवाबदावे के आधार पर 2 तनकियाँ कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2002 द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,उदयपुर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–02–2004 स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2002 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि मूर्ति मंदिर के नाबालिग होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि पुजारी मूर्ति की ओर से विवादित भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है जबकि वास्तव में यह भूमि देवस्थान की है ओर केवल देवस्थान विभाग ही मंदिर की ओर से दावा करने हेतु सक्षम है। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं0 1 का निर्णय तथ्यों के विरूद्ध पारित किया है, क्योंकि प्रत्यर्थी महादेव एवं गणेष मूर्ति राजकामेश्वर महादेव जी के पुजारी साबित नहीं है व न ही उनका कब्जा ही साबित है एवं बिना कब्जे की शहादत से यह नहीं माना जा सकता कि मूर्ति की तरफ से पुजारी विवादित भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। उनका यह भी तर्क था कि अपीलार्थी प्लान के अनुसार विवादित कृषि भूमि में 2000 वर्ग फीट में सड़क निकालने की योना है एवं सड़क का निर्माण कार्य करवाना चाहती है जो जनहित में आवश्यक है, क्योंकि मंदिर की भूमि जनहित के लिए

है तथा सड़क जनहित में बनाई जा रही है। अतः अपीलार्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील पेश की गई, जिसका संतोषजनक कारण नहीं होते हुए भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मियाद को क्षम्य किया, जो त्रुटिपूर्ण है। अन्त में निवेदन किया कि द्वितीय अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–02–2004 निरस्त किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने कथन कि जो व्यक्ति अभिलिखित खातेदार अंकित है स्थाई निषेधाज्ञा उसके पक्ष में दी जाना आवश्यक है। आर0बी0जे 09 –2002 पेज 280 के न्यायिक दृष्टांत का संदर्भ देते हुए यह भी निवेदन किया कि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है, ऐसी स्थिति में उसकी ओर से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसका पुजारी हो स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करने हेतु सक्षम है।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया।

7– इस अपील में हमारे समक्ष निर्णय का बिन्दू यह है कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थी का वाद स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है ?

8– यह तथ्य निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री राजकामेश्वर महादेव जी स्थान देह की खातेदारी में अंकित है। अपीलार्थी का तर्क है कि इस भूमि पर केवल देवस्थान विभाग द्वारा ही दावा पेश किया जा सकता था और वर्तमान वादी अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम नहीं है। हमारी सुविचारित राय में मंदिर के शाश्वत नाबालिग होने के कारण उसके हितों की रक्षार्थ कोई भी उपासक वाद लाने हेतु सक्षम है। जैसा की तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

भूमि पर कब्जे के आधार पर इस पर सड़क बनाना चाहती है। किन्तु भूमि मंदिर की खातेदारी होने के कारण वह केवल भूमि अधिग्रहण के पश्चात् ही इस पर कोई निर्माण करने हेतु सक्षम हो सकती है। जब नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार नहीं है तो वह केवल भूमि अधिग्रहण अधिनिमय के अन्तर्गत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् ही मंदिर के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर भूमि का उपयोग उपभोग कर सकती है। किन्तु वर्तमान अपील में वादी के पक्ष में दी गई स्थाई निषेधाज्ञा की दी गई डिक्री को निरस्त करने का कोई आधार हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है।

9– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते। फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम लाल गूर्जर)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष